

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ०प्र०, लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-6**

**लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2025**

**विषय:** नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-तक०सेल/675/4-मु०म०वै०न०यो०/2024-25, दिनांक 21.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित विभिन्न निकायों की विभिन्न परियोजनाओं का डी०पी०आर०/आगणन उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- योजना के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-9.6 में व्यवस्था है कि पी०एम०यू०, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) पर व्यय के लिये कुल प्राविधानित बजट की 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित होगी, जिसमें से 01 प्रतिशत धनराशि (कुल प्राविधानित बजट की 01 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 के अन्तर्गत **रू० 1124.91524 लाख (रू० ग्यारह करोड़ चौबीस लाख इक्यान्नबे हजार पांच सौ चौबीस)** तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु उक्त धनराशि की 01 प्रतिशत धनराशि अर्थात् **रू० 11.24868 लाख**, कुल **रू० 1136.16392 लाख (रू० ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख सोलह हजार तीन सौ बान्बे)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् **रू० 568.08196 लाख (रू० पांच करोड़ अड़सठ लाख आठ हजार एक सौ छियान्बे)** निम्नलिखित तालिकानुसार एवं उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	निकाय	कार्य का नाम	कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि	डी०पी०आर० की धनराशि	प्रशासनिक एवं अन्य मद (A & OE) की कुल धनराशि	कुल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कुल धनराशि	प्रथम किश्त की कुल धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
1	नगर पालिका परिषद, गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर	नगर गुलावठी में वार्ड सं०-०७ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने वेन्डिंग जोन की स्थापना हेतु 11 क्योस्क तथा वार्ड सं०-05 मो० बुद्धेखा में होली पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं	34.00	34.00	0.34	34.34	17.17	नगर पालिका परिषद-गुलावठी

		ग्रीन बेल्ट विकसित करने का कार्य।						
2	नगर पालिका परिषद-मऊ, जनपद-मऊ	वार्ड नं0-22 इमिलिया में गाटा संख्या-287 रकबा- 0.3140 हे0 में डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	105.00	113.18193	1.13181	114.31374	57.15687	नगर पालिका परिषद-मऊ
3	नगर पंचायत-बस्ती, जनपद-बस्ती	नगर पंचायत नगर बाजार में 2 स्थानों पर ओपेन जिम का निर्माण कार्य।	20.00	20.00	0.20	20.20	10.10	नगर पंचायत नगर बाजार
4	नगर पंचायत-बस्ती, जनपद-बस्ती	निकाय सीमान्तर्गत 01 सी0सी0 सड़क, नाली व पथ प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट एवं स्मृति द्वार सहित निर्माण कार्य।	6.00	6.00	0.06	6.06	3.03	नगर पंचायत नगर बाजार
5	नगर पंचायत-बस्ती, जनपद-बस्ती	वार्ड सं0-11 में दुकानों का निर्माण कार्य।	50.00	49.99893	0.49998	50.49891	25.24945	नगर पंचायत नगर बाजार
6	नगर पंचायत-परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ	नगर में 01 नगर हाईमास्ट पोल के अधिष्ठापन का कार्य।	9.00	8.82	0.0882	8.9082	4.4541	नगर पंचायत-परीक्षितगढ़
7	नगर पंचायत-माहुल, जनपद-आजमगढ़	कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	225.00	242.79	2.4279	245.2179	122.60895	सी0 एण्ड डी0एस0
8	नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा	विद्यालयों का कायाकल्प	120.00	120.60	1.2060	121.806	60.903	नगर पंचायत-बरसाना
9	नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा	शॉप/कॉमर्शियल काम्प्लेक्स।	50.00	51.19	0.5119	51.7019	25.85095	नगर पंचायत-बरसाना,
10	नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा	पार्क।	45.00	45.50	0.4550	45.955	22.9775	नगर पंचायत-बरसाना
11	नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा	ओपेन जिम 02 स्थानों पर	20.00	20.65	0.2065	20.8565	10.42825	नगर पंचायत-बरसाना
12	नगर पंचायत-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात	नगर पंचायत-सिकंदरा में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	6.00	5.294	0.05294	5.34694	2.67347	नगर पंचायत-सिकंदरा
13	नगर पंचायत-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात	नगर पंचायत-सिकंदरा में 02 स्थानों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन कार्य।	20.00	19.94	0.1994	20.1394	10.0697	नगर पंचायत-सिकंदरा

14	नगर पंचायत-बलदेव, जनपद-मथुरा	पुराना बस स्टैण्ड के पास यात्री विश्रामालय का निर्माण कार्य।	29.00	26.86	0.2686	27.1286	13.5643	नगर पंचायत-बलदेव
15	नगर पंचायत-ऊन, जनपद-शामली	चिल्ड्रेन पार्क मोहल्ला अन्सारियान	176.00	174.00	1.74	175.74	87.87	नगर पंचायत-ऊन
16	नगर पंचायत-अटसू, जनपद-औरैया	नगर पंचायत-अटसू में 02 स्थानों पर ओपेन जिम का निर्माण कार्य।	20.00	20.25038	0.20250	20.45288	10.22644	नगर पंचायत-अटसू
17	नगर पंचायत-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात	नुमाईश मैदान परिसर में ओपेन जिम एवं तार फेन्सिस, प्लेटफार्म, भूमि लेबलिंग आदि कार्य। (फेज 1 एवं 2)	80.00	74.67	0.7467	75.4167	37.70835	नगर पंचायत-सिकंदरा
18	नगर पंचायत-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात	पक्का तालाब परिसर में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण एवं मोहल्ला जवाहर नगर में उप जिलाधिकारी आवास के सामने पार्क का निर्माण एवं तहसील परिसर में वेस्ट टू वण्डर पार्क का निर्माण कार्य।	103.00	91.17	0.9117	92.0817	46.04085	नगर पंचायत-सिकंदरा
		<b>योग</b>	<b>1118.00</b>	<b>1124.91524</b>	<b>11.24868</b>	<b>1136.16392</b>	<b>568.08196</b>	

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. निर्गत धनराशि शासनादेश संख्या-1112/नौ-6-2024-01न0यो0/2024, दिनांक 23.07.2024 द्वारा निर्गत नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) की गाईडलाईन्स/दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं का निर्माण कार्य पत्र संख्या-2668(1)/नौ-6-2024, दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से निर्गत विशिष्टियों (Specifications) के अनुसार कराया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क-ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि, नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।
5. कार्यो की मात्राओं को, निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
6. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
7. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

8. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

9. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

10. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अतः निकाय/कार्यदायी संस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

11. बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अनुपालन का दायित्व निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

12. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्राविधान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।

13. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदें जिनका कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित हैं, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

14. यदि कार्य पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर कराया जाता है, तो ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्यदायी संस्था/निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पर्याप्त संख्या में सक्षम तकनीकी मैन पॉवर तैनात की जाये।

16. प्रायोजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में ऐसी औचित्यपूर्ण व स्वपोषी कार्ययोजना सक्षम स्तर के अनुमोदन से बनाये जाने पर विचार किया जाये, जिससे उक्त प्रायोजना को चलाने हेतु आवर्ती व्यय प्राप्त हो सके।

17. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्ले बोर्ड' पर योजना का नाम, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

18. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

19. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

20. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

21. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

22. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

23. निर्गत की जा रही धनराशि तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय/कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये।

24. इस सम्बन्ध में निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1112/नौ-6-2024-01न0यो0/2024, दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय, तृतीय किस्त की धनराशि प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों में नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1145/नौ-8-2021 दिनांक-09.06.2021 की शर्तों/उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

25. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अधिसासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/ वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

26. निर्गत की जा रही धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष-2024-25 (31 मार्च 2025 तक) में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा उसके पश्चात धनराशि का उपयोग नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा।

27. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28. प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु निर्गत उक्त धनराशि निम्नलिखित गतिविधियों हेतु उपयोग की जायेगी:-

- (1) क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु।
- (2) परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शों के लिये सीमा से बाहर का व्यय।
- (3) आवश्यक होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ/आडियो-विजुअल माध्यमों, वॉल पेन्टिंग, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु।
- (4) नगर चौपाल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अध्ययन/शोध/अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों हेतु।
- (5) डी0पी0आर0 तैयार करने और डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये आवश्यक सर्वेक्षण कार्य करने वाले सलाहकार/टीम को भुगतान हेतु।
- (6) आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु० 568.08196 लाख (रु० पांच करोड़ अड़सठ लाख आठ हजार एक सौ छियान्नबे)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजना मानक मद-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या- E-9-722-X-2024-25-दिनांक: 28-03-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,  
20/7/24  
(रवीन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।

### **संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी- बुलन्दशहर/मऊ/बस्ती/मेरठ/आजमगढ़/मथुरा/कानपुर देहात/शामली/औरैया, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कोषागार- बुलन्दशहर/मऊ/बस्ती/मेरठ/आजमगढ़/मथुरा/कानपुर देहात/शामली/औरैया, उ0प्र0।
6. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01/02।
11. **अधिसासी अधिकारी-** नगर पालिका परिषद, गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर, नगर पालिका परिषद-मऊ, जनपद-मऊ, उ०प्र०।
12. **अधिसासी अधिकारी-**नगर पंचायत-बस्ती, जनपद-बस्ती, नगर पंचायत-परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ, नगर पंचायत- माहुल, जनपद-आजमगढ़, नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा, नगर पंचायत-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात, नगर पंचायत-बलदेव, जनपद-मथुरा, नगर पंचायत-ऊन, जनपद-शामली, नगर पंचायत-अटसू, जनपद-औरैया, उ०प्र०।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
20/11/20  
(रवीन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।